दावा बाबत अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :–

1. श्री मुनीर अली पठान, वकील वादी
2. श्री सुरेश नारायण खारवाल, वकील प्रतिवादी 7, 8, व 10

निर्णय

दिनांक 31.10.2017

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में संक्षित तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण व प्रतिवादी 1 ता 17 के कायम एनसेस्टर होतेखां जी थे जिनके खानदान का सजरा वाद पत्र में पेश किया। वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजों के वक्त की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि सरहद मौजा नवोड़ा बेरा एवं गंगापुरा तहसील पचपदरा में आई हुई है।

मौजा ग्राम नवोड़ा बेरा

खसरा नं.	रकबा
1310	9.12 बीघा

मौजा ग्राम गंगापुरा

खसरा नं	रकबा
1342	20.01 बीघा
1347	19.03 बीघा
2218	105.14 बीघा

उपरोक्त भूमि पर वक्त जागीर एवं काश्तकारी अधिनियम लागू होने के वक्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 17 के पूर्वजों का संयुक्त कब्जा काश्त था तथा सभी संयुक्त रुप से भूमि पर काश्त करते थे।

सेटलमेंट अधिकारीयों ने वक्त सेटलमेंट नवोड़ाबेरा खेत खसरा नंबर 1310 तथा गंगापुरा खेत खसरा नंबर 1342 व 1347 में प्रतिवादीगण के पूर्वजों के साथ वादीगण के पूर्वजों का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं किया लेकिन सेटलमेंट अधिकारीयों की भूल व त्रुटि से खेत खसरा नंबर 2218 सरहद मौजा गंगापुरा में वादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज किये, लेकिन भूमि पर पहले वादीगण के पूर्वजों का भूमि पर कब्जा काश्त लगातार सुस्थापित तौर से चला आ रहा है। वादीगण के कब्जा काश्त में कभी प्रतिवादीगण ने उज्र ऐतराज नहीं किया।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

नाम पीठासीन अधिकारी :– **श्री भागीरथराम** R.A.S.

मुकदमा नम्बर :– राजस्व वाद 91/2015

वादीगण *बनाम* **प्रतिवादीगण**

1. लालेखां पुत्र आकूखां मुसलमान
2. मोहम्मदखां पुत्र आकूखां मुसलमान
3. छोटूखां पुत्र आकूखां मुसलमान नाबालिग जरिये कुरती वली माता आसी बेवा आकूखां
4. आसी बेवा आकूखां मुसलमान
5. नेकूखां पुत्र महेन्द्रखां मुसलमान
6. जानूखां पुत्र महेन्द्रखां मुसलमान
7. बरगतखां पुत्र महेन्द्रखां मुसलमान
8. बक्सूखां पुत्र महेन्द्रखां मुसलमान
9. कमूखां पुत्र महेन्द्रखां मुसलमान
10. समुखां पुत्र महेन्द्रखां मुसलमान
11. शेरूखां पुत्र महेन्द्रखां मुसलमान
12. सकू बेवा महेन्द्रखां मुसलमान

सभी निवासी गंगापुरा तह. पचपदरा

बनाम

1. मलाखां पुत्र अलारखां मुसलमान
2. आरबखां पुत्र जलेखां मुसलमान नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सुगरो बेवा जलेखां मुसलमान
3. सुगरो बेवा जलेखां मुसलमान
4. आसीनखां पुत्र कादरखां मुसलमान
5. हनीफखां पुत्र भंवराखां मुसलमान नाबालिग जरिये कुदरती वली माता जमी बेवा भंवराखां मुसलमान
6. जमी बेवा भंवराखां मुसलमान
7. रसूलखां पुत्र निभेखां मुसलमान
8. नूरा पुत्र अमीनखां मुसलमान
9. सोमा पुत्र पान्दीखां मुसलमान
10. चानणा पुत्र पान्दीखां मुसलमान
11. खमा पुत्र पान्दीखां मुसलमान
12. खगा पुत्र महेन्द्रखां मुसलमान
13. हेमा पुत्र महेन्द्रखां मुसलमान
14. आकूखां पुत्र महेन्द्रखां
15. हुसैन पुत्र महेन्द्रखां मुसलमान
16. कादर पुत्र वस्ता मुसलमान
17. अली पुत्र वस्ता मुसलमान

सभी निवासी नवोडाबेरा तह. पचपदरा

18. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' 1)

अज अदालत श्री सहायक कलक्टर SDO मुकाम बालोतरा
पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथराम R.A.S.

वादीगण *बनाम* **प्रतिवादीगण**

वादीगण

1. लालेखां पुत्र आकूखां मुसलमान
2. मोहम्मदखां पुत्र आकूखां मुसलमान
3. छोटूखां पुत्र आकूखां मुसलमान नाबालिग जरिये कुरती वली माता आसी बेवा आकूखां
4. आसी बेवा आकूखां मुसलमान
5. नेकूखां पुत्र महेन्द्रखां मुसलमान
6. जानूखां पुत्र महेन्द्रखां मुसलमान
7. बरगतखां पुत्र महेन्द्रखां मुसलमान
8. बक्सूखां पुत्र महेन्द्रखां मुसलमान
9. कमूखां पुत्र महेन्द्रखां मुसलमान
10. समुखां पुत्र महेन्द्रखां मुसलमान
11. शेरूखां पुत्र महेन्द्रखां मुसलमान
12. सकू बेवा महेन्द्रखां मुसलमान

सभी निवासी गंगापुरा तह. पचपदरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मलाखां पुत्र अलारखां मुसलमान
2. आरबखां पुत्र जलेखां मुसलमान नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सुगरो बेवा जलेखां मुसलमान
3. सुगरो बेवा जलेखां मुसलमान
4. आसीनखां पुत्र कादरखां मुसलमान
5. हनीफखां पुत्र भंवराखां मुसलमान नाबालिग जरिये कुदरती वली माता जमी बेवा भंवराखां मुसलमान
6. जमी बेवा भंवराखां मुसलमान
7. रसूलखां पुत्र निभेखां मुसलमान
8. नूरा पुत्र अमीनखां मुसलनान
9. सोमा पुत्र पान्दीखां नुसलनान
10. चानणा पुत्र पान्दीखां मुसलमान
11. खना पुत्र पान्दीखां मुसलमान
12. खमा पुत्र महेन्द्रखां मुसलमान
13. हेमा पुत्र महेन्द्रखां मुसलमान
14. आकूखां पुत्र महेन्द्रखां
15. हुसैन पुत्र महेन्द्रखां मुसलमान
16. कादर पुत्र वस्ता मुसलमान
17. अली पुत्र वस्ता मुसलमान

सभी निवासी नवोडाबेरा तह. पचपदरा

18. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

वाद हेतु अधिकार घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदना नम्बर :– राजस्व वाद सं. 91 / 2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे ब हाजरी पक्षकारान मिनजानिब मुद्दई मुनीर अली व मिनजानिब पक्षकारान मुदायलाह– एकपक्षीय पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती है कि – वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार कर मौजा सरहद नवोड़ा बेरा खेत खसरा नंबर 1310 रकबा 9.12 बीघा व सरहद मौजा गंगापुरा खसरा नंबर 1342 रकबा 20.01 बीघा व खसरा नंबर नंबर 1347 रकबा 19.03 बीघा में वादीगण को 1/9 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। इसी अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद करें और प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित किया जाता है कि वादीगण के कब्जा काश्त व हक हिस्से की भूमि में कोई दखल / हस्तक्षेप कारित नहीं करें। वाद व्यय दोनों पक्ष अपना–अपना वहन करें।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 31.10.2017 को जारी की गई।

दस्तखत ....
ओहदा .... सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.)

अतः वादग्रस्त भूमि मौजा सरहद नवोड़ा बेरा खेत खसरा नंबर 1310 रकबा 9.12 बीघा व सरहद मौजा गंगापुरा खसरा नंबर 1342 रकबा 20.01 बीघा व खसरा नंबर 1347 रकबा 19.03 बीघा में वादीगण को 1/9 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस प्रकार राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण को उनके कब्जा काश्त व हक हिस्से की भूमि से बेदखल नहीं करें। वाद व्यय दोनों पक्ष अपना-अपना वहन करें। डिगरी पर्चा जारी हो।

सहायक कलेक्टर
एस.डी.ओ. बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 31.10.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
एस.डी.ओ. बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

प्रतिवादी सं. 1 मलाखां पुत्र अलारखखां ने दिनांक 29.03.16 को प्रार्थना पत्र बाबत एक पक्षीय कार्यवाही को मन्सुख करने हेतु पेश किया जिसकी प्रति वादी वकील को दी गयी। वादी वकील ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेशकर बताया कि प्रतिवादीगण नोटिस लेने से इंकार कर दिया तथा प्रतिवादी सं. 1 ने सात माह बाद कानूनी सलाह कर प्रार्थना पत्र पेश किया जो गलत होने से अस्वीकार है, उक्त दावा अभी तनकियात में विचाराधीन है जिससे उक्त दावा में की गयी एक पक्षीय कार्यवाही का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे एवं प्रतिवादी सं. 1 ने जानबुझकर नोटिस तामिल नहीं किया, प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई, एक पक्षीय कार्यवाही यथावत रखी गई।

प्रतिवादी सं. 7, 8 व 10 ने काई साक्ष्य पेश नहीं की, प्रतिवादी वकील के कथनानुसार प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। बहस में वादी वकील ने वाद पत्र का समर्थन किया, माफिक इस्तदुआ डिगरी जारी करने का निवेदन किया। प्रतिवादी वकील ने वाद को डिगरी करने में कोई आपती नहीं की।

हमने वाद पत्र के तथ्यों व वाद पत्र में संलग्न प्रस्तुत दस्तावेज तथा वादी सं. 1 व 5 के बयानों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज व ब्यानों से जाहिर होता हैं कि वादग्रस्त भूमि पर वादी वक्त जागीर व सेटलमेंट एवं कास्तकारी अधिनियम लागू होने के वक्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों का संयुक्त कब्जा काश्त था तथा सभी संयुक्त रुप से भूमि काश्त करते थे तथा वादीगण के पूर्वजों का भूमि पर कब्जा कास्त लगातार सुस्थापित तौर से चला आ रहा है। वादी वाद स्वीकार करने योग्य होने से वादी वाद स्वीकार किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वादीगण ने वाद के समर्थन में वादी सं. 1 लालेखां ने शपथ पत्र दिनांक 10.08.2017 को पेश किया जिसमे वाद के तथ्यों का समर्थन करते हुए माफिक इस्तदुआ दावा वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नंबर 1310 रकबा 9.12 बीघा मौजा नवोडा बेरा व खेत खसरा नंबर 1342 रकबा 20.01 बीघा व खसरा नंबर 1347 रकबा 19.03 बीघा मौजा गंगापुरा में हम वादीगण को 1/9 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किया जावे, प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे। वाद के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी **Ex1**, Ex2 & **Ex3** पेश की गई। वादग्रस्त भूमि में वादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज नहीं किये, वक्त सेटलमेंट अधिकारीयों की भूल वंश दर्ज नहीं किया परन्तु वक्त सेटलमेंट से वादीगण व हमारे पूर्वज काश्त करते आ रहे है जिस भूमि में नाम दर्ज किये गये है, में प्रतिवादीगण द्वारा कभी उज्र ऐतराज नहीं किया। खसरा नंबर 1310, 1342 व 1347 में वादग्रस्त भूमि में 1/9 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं रेकर्ड दुरूस्त किया जावे।

वाद के समर्थन में वादी सं. 5 ने शपथ पत्र पेश कर वाद के तथ्यों का समर्थन किया। वादग्रस्त भूमि हमारे पूर्वजों के वक्त की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि रही है, उपरोक्त भूमि पर वक्त जागीर एवं काश्तकारी अधिनियम लागू होने के वक्त हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 17 के पूर्वजों का संयुक्त कब्जा काश्त था तथा सभी संयुक्त रुप से भूमि पर काश्त करते थे। सेटलमेंट अधिकारीयों की भूल व त्रुटि से खसरा नंबर 1310, 1342 व 1347 में हमारे पूर्वजों का नाम खातेदारी दर्ज नहीं की लेकिन भूमि पर पहले हम वादीगण के पूर्वजों का भूमि पर कब्जा काश्त लगातार सुस्थापित तौर से चला आ रहा है। हमारे कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण ने कभी भी उज्र ऐतराज नहीं किया, माफिक इस्तदुआ वाद डिक्री किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। वादी लालेखां ने नकल जमाबन्दीयां पेश की है। वक्त सेटलमेंट से वादग्रस्त खसरों पर हमारे पूर्वज कब्जा काश्त करते थे और अब हम काश्त करते है, कभी भी प्रतिवादीगण ने किसी प्रकार से ऐतराज, दखलअन्दाजी नहीं की। खसरा नंबर 1310, 1342 व 1347 में वादीगण का 1/9 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे, रेकर्ड दुरूस्त किया जावे। माफिक वाद डिक्री किया जावे।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व रेकार्ड बाबत पुछताछ की तो पता चला कि खसरा नंबर 1342, 1347 व 1310 सरहद मौजा नवोड़ा बेरा व गंगापुरा में वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकन नहीं है जिससे वादीगण के हक संशय में पड़ गये। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के साथ वादीगण का नाम दर्ज करवाने हेतु दावा लाना आवश्यक हुआ। वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1/9 हिस्सा घोषित करवाने हेतु दावा पेश है। भाणा पुत्र हठूखां का लाऔलाद फौत हो गया है, भाणा ने अपनी भूमि सताखां के वारिसान अलारकखां, सावनखां, महेन्द्रखां पिसरान सताखां के हक में बख्सीस कर दिया था।

वादीगण की प्रार्थना हैं कि वादीगा के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न डिकी सादिर फरमायी जावे।

1. खेत खसरा नंबर 1310 रकबा 9.12 बीघा मौजा नवोडा बेरा व खेत खसरा नंबर 1342 रकबा 20.01 बीघा व खसरा नंबर 1347 रकबा 19.03 बीघा मौजा गंगापुरा में वादीगण का 1/9 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किया जावे।
2. प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाा जारी फरमायी जावे कि खसरा नंबर 1342, 1347 व 1310 का बेचान करने से रोका जावे तथा प्रतिवादीगण एवं उनके एजेंट, मजदूरी इत्यादी वादीगण को उनके कब्जा काश्त व हक हिस्से की भूमि से बेदखल नहीं करें। इस आशय का स्थायी निषेधाज्ञा वादीगण के पक्ष में जारी किया जावे व अन्य अनुतोष जो बहक वादीगण हो दिरावे।

वादीगण वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 7, 8 व 10 द्वारा दिनांक 08.10.2015 को जवाब पेश कर वाद के तथ्यों का समर्थन करते हुए वादीगण की प्रार्थना को सही होना स्वीकार किया तथा खेत खसरा नंबर 1310 रकबा 9.12 बीघा मौजा नवोडा बेरा व खेत खसरा नंबर 1342 रकबा 20.01 बीघा व खसरा नंबर 1347 रकबा 19.03 बीघा मौजा गंगापुरा में वादीगण को 1/9 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। दीगर प्रतिवादीगण बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहने पर दिनांक 07.01.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा